**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2035**

**उत्तर देने की तारीखः 28.07.2014**

**स्कूलों में बिजली तथा फर्नीचर**

**2035. डॉ॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र रावः**

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि प्राथमिक स्तर वाले महज 51.74 फीसदी स्कूलों में ही बिजली की सुविधा है और केवल 76.55 फीसदी उच्च प्राथमिक स्कूलों में ही फर्नीचर उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी स्कूलों में बिजली की सुविधा तथा फर्नीचर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग) **: जी, हां। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई), 2013-14 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर 51.74 प्रतिशत स्कूलों में बिजली की सुविधा हैं तथा 76.55 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्कूलों में फर्नीचर हैं। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम में ऐसे स्कूलों में आंतरिक वायरिंग और बिजली की फिटिंग हेतु निधियों के आबंटन का प्रावधान है जहां उच्च प्राथमिक स्तर पर बिजली और फर्नीचर उपलब्ध है। आबंटन राज्यों की वार्षिक कार्य योजना और बजट में परिलक्षित उनकी अलग-अलग आवश्यकताओं, निधियों की उपलब्धता तथा भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन/अनुमोदन पर आधारित होते हैं।**

\*\*\*\*\*